FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0030 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 23/10/2025 21:59 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
2	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	308(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/10/2025 **Time (समय):** 21:59 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 016 **Date and Time (दिनांक और समय):** 23/10/2025 21:59 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 50 Km (s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): थाना सिटी थानेसर कुरुक्षेत्र,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** अनिल कुमार

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** राम सिंह

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1975 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**गांव लाठी धनौरा, लाडवा, कुरुक्षेत्र, LADWA, KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**गांव लाठी धनौरा, लाडवा, कुरुक्षेत्र, LADWA, KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-8400663847

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	विनय कुमार SHO			1. S H O City Thanesar,Kurukshetra,THANESAR CITY,KURUKSHETRA,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

श्री मानजी, नकल लेख निम्न प्रकार से है:-

सेवा में,

इन्सपैक्टर साहब, विजीलैंस, पंचकूला।

श्रीमान जी.

निवेदन है कि मैं अनिल कुमार पुत्र श्री रामसिंह निवासी गांव लाठी धनौरा तहसील व थाना लाडवा जिला कुरुक्षेत्र का स्थाई निवासी हूं। मेरी सागर पावर प्रोडक्टस के नाम से लाडवा में बैटरी बनाने की फैक्ट्री है। मेरी इस फर्म मे मेरी पत्नी श्रीमति राजवन्त कौर व सागर सिंह पुत्र श्री लखविन्द्र सिंह निवासी मकान न. 01 सिल्वर सिटी कॉलोनी नजदीक स्काईट कॉलेज, कुरूक्षेत्र पार्टनर है। सागर सिंह रिश्ते में मेरा साढू भाई लगता है। हमारी इस फर्म का एक सिविल मामला CNR No. HRKU02-000628-2018 Bindal Smelting Pvt. Ltd. V/s Sagar Power Products माननीय अदालत श्री देवेन्द्र, सिविल जज कुरूक्षेत्र में विचाराधीन है। इस मामले में मेरे साढ़ू सागर उपरोक्त की लगभग दो साल पहले से माननीय हाई कोर्ट, चण्डीगढ़ से रेगुलर जमानत हो रखी है। इस मामले में माननीय अदालत ने एस.एच.ओ. सिटी थानेसर से मेरे साढू सागर बारे रिपोर्ट मांगी थी। जो कि मेरा साढू सागर पिछले लगभग तीन-चार साल से नेपाल में रह रहा है इस सम्बन्ध में हमनें एस.एच.ओ. विनय कुमार को मिलकर मेरे साढू के नेपाल जाने से सम्बन्धित दस्तावेज भी पेश कर दिए थे। जो इस बारे एस.एच.ओ. विनय कुमार ने अपनी रिपोर्ट बनाकर दिनांक 18.10.2025 को माननीय अदालत में दे दी थी। इसके उपरान्त दिनांक 21.10.2025 को एस.एच.ओ. विनय उपरोक्त ने अपने मोबाईल नम्बर 7056700111 से मेरे मोबाईल फोन नम्बर 8400663847 पर समय 4:46 पी.एम. पर कॉल करके कहा कि मुझे व्हाटसप्प कॉल करो। जिस पर मैंने अपने व्हाटसप्प नम्बर 9215600499 से उनके उपरोक्त मोबाईल नम्बर पर व्हाटसप्प कॉल की परन्तु उनका नम्बर व्यस्त आता रहा। जिसके कुछ ही देर के बाद उनकी व्हाटसप्प कॉल मेरे नम्बर पर आई। जिन्होने मुझे कहा कि हमारे उपरोक्त सिविल केस के मामले में दूसरी पार्टी का वकील पी.ओ. स्टाफ को लेकर मेरे साढू सागर उपरोक्त की कोठी पर आया हुआ है जिन्होने कोठी को चारो ओर से घेर रखा है और कहा कि मैं आप लोगो को गिरफतारी से बचाने के लिए घरौण्डा टोल टैक्स से वापिस आया हूं। जिसने मुझे कहा कि आप जल्दी से यहां आकर मुझसे मिलो मैं कोठी के थोडी दूर सामने ही खड़ा हूं। उस समय मैं कोठी के अन्दर ही था और मैं तुरन्त बाहर जाकर उनसे मिला जिन्होने मुझे कहा कि पी.ओ. स्टाफ वाले सागर की पत्नी व सागर के पिता जी को गिरफतार करने के लिए आये हुए है अगर उनको गिरफतारी से बचाना है तो पांच लाख रूपये बतौर रिश्वत देने पड़ेंगे। मैं घबरा गया और मैंने उनसे कहा कि मैं सागर के पिताजी से बात करके बताता हूं। फिर मैंने कोठी में जाकर सागर के पिता जी श्री लखविन्द्र सिंह को सारी बात बताई जिन्होने कहा कि हम इतने पैसे नही दे सकते और डर के मारे तीन लाख रूपये दे सकने की बात कही जिसके बाद मैं एस.एच.ओ. विनय उपरोक्त के पास गया और यही बात उसको बताई जिसने कहा कि चलो आप साढे तीन लाख रूपये दे दो तो मैंने उनसे कहा कि घर पर आज केवल तीन लाख रूप्ये ही नगद रखे हुए है बाकि के पचास हजार रूप्ये आप ट्रांसफर करवा लो। तो एस.एच.ओ. विनय ने कहा कि तीन लाख रूप्ये अभी दे दो जो पी.ओ. स्टाफ वालों को देने पडेंगे। मेरे वाले पचास हजार रूप्ये एक दो दिन में नगद दे देना। जिसके बाद मैंने सागर के पिता जी से तीन लाख रूपये लेकर एस.एच.ओ. विनय को दे दिए। उस समय विनय अपनी प्राईवेट कार में बैठा हुआ था। उसके साथ दो व्यक्ति और भी थे जो सिविल ड्रेस में थे। एस.एच. ओ. विनय ने मुझसे कहा कि आप लगभग छह-साढे छह के बीच में थाना सिटी थानेसर में आ जाना क्योंकि पी.ओ. स्टाफ की आज की छापामारी रिपोर्ट पर आपके हस्ताक्षर होने है। उसके बाद मैं सिटी थाना में पहुंचा जहां पर मैं एस.एच.ओ. विनय उपरोक्त से मिला जिसने मुझसे 15-20 मिनट बातचीत की और कहा कि अब आपके हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसने पी. ओ. स्टाफ वालों को पैसे देकर बाहर से ही भेज दिया है और मुझे बकाया रिश्वत पैसे देने के लिए बोलकर मुझे भी फारिंग कर दिया। इसके बाद कल दिनांक 22.10.2025 को समय 12:49 पी.एम. पर एस.एच.ओ. विनय उपरोक्त का मुझे व्हाटसप्प कॉल आया जिन्होने मुझे थाना सिटी थानेसर में बुलाया। में करीब 4:30 पी.एम. पर थाना में गया जहां पर एस.एच.ओ. विनय ने मुझसे इस मामले में काफी देर तक इधर ऊधर की बातें की और अंत में कहा कि मेरे तीन-चार मुलाजिम है कल अगर मेरी बदली हो जाए और यह शिकायत न करे तो इसलिए इनका भी कुछ कर देना तो मैनें कहा कि आप बताओं कि कितने देने है तो उसने कहा कि आपको जो ठीक लगे उतना कर दो। तो उसने जो पहले से पचास हजार रूप्ये मांगे हुए थे मैंने उसे वही पचास हजार रूप्ये देने के लिए कहा तो उसने पूछा कि कब मिलोंगे तो मैनें कहा कि मैनें परसो बाहर जाना मैं कल आकर दे जाऊंगा। मैंने इस बातचीत की अपने मोबाईल फोन में वाईस रिकार्डिंग की हुई है जिसे मैं बाद में आपको पेश कर दूंगा। मैं विनय कुमार, एस.एच.ओ. सिटी थानेसर को यह रिश्वत नहीं देना चाहता परन्तु वह मेरे साढ़ू सागर की पत्नी व सागर के पिता लखविन्द्र सिंह को गिरफतार करने के लिए कानून का भय दिखाकर रिश्वत देने के लिए मजबूर कर रहा है। इसलिए मैं उरो यह 50000/- रूपये बतौर रिश्वत देकर रंगे हाथ

पकडवाना चाहता हूं। कृप्या करके उनके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाए।

-sd- अंग्रेजी Anil
23/10/25. Mob. 8400663847.

कार्यवाही पुलिसः- आज मन निरीक्षक हाजिर मुख्यालय राज्य सतर्कता एवं चौकसी ब्यूरो, पंचकूला का था कि उच्चाधिकारीण द्वारा टोल फ्री शिकायत नम्बर 33 दिनांक 23.10.2025 के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार उन्मुलन अधिनियम के तहत रेड की कार्यवाही करने बारे आदेश दिए गए। जिस सम्बन्ध में रेड की कार्यवाही के दौरान राजपत्रित अधिकारी/स्वतंत्र गवाह तथा छाया गवाह नियुक्त करने बारे उच्चाधिकारीगण को अनुरोध किया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं चौकसी ब्यूरो, पंचकूला मण्डल पंचकूला के कार्यालय आदेश न. 1301/SV ACB PKL दिनांक 23.10.2025 अनुसार श्री नीतिश कुमार सिंगला, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, पंचकूला को रेड की कार्यवाही के दौरान राजपत्रित अधिकारी/स्वतंत्र गवाह के रूप में नियुक्त करने के आदेश जारी किए। इन आदेशों की पालना में श्री नीतिश कुमार सिंगला उपरोक्त को बजरिया टेलीफोन रेड की कार्यवाही में शामिल होने के लिए मुख्यालय आने बारे सूचित किया। इसके कुछ समय बाद श्री नीतिश कुमार सिंगला उपरोक्त उनके कार्यालय के निरीक्षक श्री सुनील कुमार सहित मुख्यालय पर हाजिर आये जिनको पुलिस अधीक्षक महोदय के उपरोक्त आदेश दिखाकर टोल फ्री शिकायत के सम्बन्ध में अवगत करवाकर शामिल रेंडिंग टीम किया गया। मन निरीक्षक मय सहायक उप निरीक्षक जसपाल सिंह न. 01/अम्बाला, सहायक उप निरीक्षक दिलभाग सिंह न. 12/ पंचकूला, सहायक उप निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह न. 168/अम्बाला, सिपाही राजन कुमार न. 2757/ गुरुग्राम बासवारी गाडी सरकारी बुलेरो नम्बर HR 03GV 7853 जिसका चालक ई.ए.एस.आई. परमजीत सिंह न. 598/अम्बाला है, के तथा राजपत्रित अधिकारी अपने कार्यालय के निरीक्षक सुनील कुमार सहित अपनी सरकारी गाडी सहित रवाना पिपली, कुरूक्षेत्र का हुए। लैपटॉप, प्रिन्टर, रेडिंग किट साथ ली गई। जो मन निरीक्षक द्वारा टोल फ्री शिकायत के सम्बन्ध में पिपली जिला कुरुक्षेत्र पहुंचकर शिकायतकर्ता अनिल के मोबाईल नम्बर 8400663847 पर सम्पर्क करके उनके बताए स्थान विन्टेज जायका रेस्टोरेट पिपली पर रेडिंग टीम सहित पहुंचा। जहां पर शिकायतकर्ता अनिल कुमार पुत्र श्री रामसिंह निवासी गांव लाठी धनौरा तहसील व थाना लाडवा जिला कुरुक्षेत्र हाजिर मिला जिसने अपनी एक टाईपशुद्दा शिकायत बाबत मांगने रिश्वत विरूद्ध विनय कुमार, एस. एच.ओ. थाना सिटी थानेसर कुरुक्षेत्र के दी। जो शिकायत के सार से अपराध धाराधीन 7 पी.सी. एक्ट 1988 व 308(2) BNS का होना पाया जाता है जो हालात बारे अफसरानबाला को बजरिया टेलीफोन सूचित किया गया। दरखास्त उपरोक्त पर लेख तैयार करके अभियोग अंकित करवाने के लिए सहायक उप निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह न. 168/अम्बाला को थाना राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला भेजा जा रहा है। अभियोग अंकित करके अभियोग संख्या से सूचित किया जावे तथा स्पेशल रिपोर्ट अभियोग स्पेशल मैसेन्जर वा ईमेल के माध्यम से स्पेशल जज अम्बाला की सेवा में वा प्रथम सूचना रिर्पोट की प्रतियों उच्च अधिकारीगण की सेवा में भिजवाई जावें। अभियोग की कॉपी व असल लेख मौका पर भिजवाई जावे। अभियोग में आगामी अन्वेषण हेतू अन्वेषकर्ता अधिकारी नियुक्त करके मौका पर भेजा जावे। मन निरीक्षक रेड कारवाई की औपचारिकताएं पूरी करने में व्यस्त होता हूं। अजः-विंटेज जायका रेस्तरां पिपली। at. 6:10PM.

–sd- अंग्रेजी Rakesh Kumar
(राकेश कुमार) CP/26 निरीक्षक/अन्वेषणकर्ता अधिकारी,
थाना राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला।
दिनांकः 23.10.2025.

अज थाना –इस समय एक टाईप शुदा लेख निरीक्षक राकेश कुमार CP/26, रा.स.एवं भ्र0नि0ब्यूरो, पचंकुला मण्डल, पचंकुला, बर दरखास्त मैं अनिल कुमार पुत्र श्री रामसिंह निवासी गांव लाठी धनौरा तहसील व थाना लाडवा जिला कुरुक्षेत्र बर खिलाफ विनय कुमार एस.एच.ओ. थाना सिटी थानेसर, कुरुक्षेत्र बाजूर्म धारा 7 पी.सी.एक्ट 1988, 308(2) बी.एन.एस. का होना पाया जाने बर बादस्त स.उ.नि. सुरेन्द्र सिंह न. 168/अम्बाला के थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 30 दिनांक 23.10.2025 धारा 7 पी.सी.एक्ट 1988, 308(2) बी.एन.एस. थाना रा.स.एवं भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पैशल रिपोर्ट ई मेल के माध्यम से सेवा मे इलाका मैजिस्ट्रेट साहब कुरुक्षेत्र व नकल मिसल पुलिस मय असल लेख अनुसंधान हेतू अनुसंधानकर्ता के पास बादस्त

आने वाले स.उ.नि. सुरेन्द्र सिंह न. 168/अम्बाला को भेजा जा रहा है। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्चाधिकारीगण व सम्बन्धित की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जायेंगी। थाना भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला मे अनुसंधानकर्ता निरीक्षक निरीक्षक राकेश कुमार सी.पी./26,रा.स.एवं भ्र0नि0ब्यूरो, पचंकुला मण्डल, पचंकुला की सी.सी.टी.एन.एस. आई.डी. न होने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट मे अनुसंधानकर्ता निरीक्षक राजेश कुमार न. 71/एच.ए.पी. थाना रा.स.एवं भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला दर्शाया गया है। हस्ब आदेश मौखिक अफसरानबाला अभियोग उपरोक्त के आगामी अनुसंधान हेतू मन निरीक्षक रवाना मौका का होता हूं।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** SANDEEP KUMAR **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 32HAP **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Om Prakash

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): HPS

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.